नईदुनिया

संपादकीय

आस्था और भावनात्मक समर्पण की गूंज

भूटान में एक दिन में बने 108 बौद्ध स्तूप

भूटान के गेलेफू शहर में रविवार को जो दृश्य दिखाई दिया, वह केवल निर्माण नहीं, बल्कि आस्था और सामूहिक समर्पण का जीवंत प्रमाण था। करीब 40 हजार स्वयंसेवकों ने महज 12 घंटे में 108 विशाल बौद्ध स्तूपों का निर्माण पूरा किया। रात दो बजे शुरू हुआ यह कार्य दोपहर दो बजे तक पूरा हो गया। दुनिया भर से आए करीब दो लाख लोग इस अवसर के साक्षी बने। यह आयोजन बताता है कि जब मन में श्रद्धा और हाथों में एकता हो, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।

बौद्ध धर्म में 108 अंक को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह आध्यात्मिक साधना, ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है। प्रत्येक स्तूप करीब 50 फीट ऊंचा है और इन्हें माओ छू नदी के किनारे कतार में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 108 के तहत निर्मित ये स्तूप केवल धार्मिक संरचनाएं नहीं, बल्कि प्रकृति और अध्यात्म के संगम के प्रतीक हैं। आने वाले समय में ये ध्यान और शांति के केंद्र बन सकते हैं।

इस समारोह का सबसे भावुक क्षण तब आया, जब भूटान के राजा ने स्तूप संख्या 76 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया। यह समर्पण भारत और भूटान के बीच गहरी मित्रता, विश्वास और साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने भी इस आयोजन को विशेष अनुभव बताया। भूटान के राजा, प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे और वहां की जनता की उपस्थिति में प्रार्थना की गई। यह आयोजन दोनों देशों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाई देता है।

करीब 40 हजार स्वयंसेवकों का एक साथ काम करना सामूहिक प्रयास की असाधारण मिसाल है। इसकी तैयारी कई महीनों से चल रही थी। कोई निर्माण सामग्री जुटा रहा था, कोई मिट्टी तैयार कर रहा था, तो कोई प्रार्थना और मंत्रोच्चार में जुटा था। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की ध्वनि ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। यह दृश्य बताता है कि विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिकों के सामूहिक संकल्प से भी संभव होता है।

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी इसी सोच का विस्तार है। भूटान का प्रयास है कि भविष्य का विकास केवल कंक्रीट की इमारतों तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें मानसिक शांति, प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना को भी स्थान मिले। आज जब दुनिया के बड़े शहर प्रदूषण और तनाव से जूझ रहे हैं, तब यह विचार महत्वपूर्ण हो जाता है कि वास्तविक विकास वही है, जो जीवन को बेहतर बनाए।

भारत के लिए भी इसमें सीख है। हमारे यहां अनेक बौद्ध और हिंदू तीर्थस्थल हैं, लेकिन कई जगह व्यवस्थाओं और संरक्षण में सुधार की जरूरत है। यदि स्थानीय समुदाय, युवा और स्वयंसेवी संगठन मिलकर श्रमदान करें, तो इन स्थलों का कायाकल्प किया जा सकता है। धार्मिक स्थलों को केवल पर्यटन केंद्र नहीं, बल्कि साधना, शांति और सांस्कृतिक चेतना के केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिए। बारह घंटे में 108 स्तूपों का निर्माण केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि सामूहिक संकल्प और समर्पण की शक्ति का संदेश है। स्तूप संख्या 76 का भारत को समर्पण इस आयोजन को दोनों देशों की मित्रता से भी जोड़ता है। भूटान ने यह संदेश दिया है कि आस्था जब कर्म बनती है, तो वह केवल स्मारक नहीं बनाती, बल्कि पीढ़ियों तक प्रेरणा देने वाली विरासत भी रचती है।

आजकल

महंगाई बिगाड़ रही घरों का बजट, त्यौहारों पर दिखने लगा असर

दीवाली रोशनी, खुशियों और उम्मीदों का त्योहार है। बच्चों की आंखों में नए कपड़ों की चमक होती है और घरों में मिठाइयों की खुशबू। लेकिन इस बार महंगाई ने त्योहार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है। भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर तक आम परिवारों के सामने सवाल है कि बढ़ते खर्चों के बीच त्योहार कैसे मनाएं। मिठाई, सूखे मेवे, आटा और बेसन की कीमतों में बढ़ोतरी ने पहले से बिगड़े घरेलू बजट पर और बोझ डाल दिया है।

बाजार में काजू, बादाम और पिस्ता खरीदना अब हर किसी के बस की बात नहीं रह गई है। घी, आटा, मैदा और बेसन के बढ़ते दाम रसोई का हिसाब बिगाड़ रहे हैं। जिन घरों में पिछले साल तक पांच किलो मिठाई आती थी, वहां अब दो किलो खरीदने से पहले भी सोचना पड़ता है। उपहार में सूखे मेवे देने की परंपरा सीमित हो रही है और कई परिवार बच्चों के नए कपड़ों तक पर खर्च घटाने को मजबूर हैं। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों का असर साफ दिखाई दे रहा है। आमदनी स्थिर है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ रहे हैं।

महंगाई का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसका असर केवल जेब पर नहीं, भावनाओं पर भी पड़ता है। पूरे साल दीवाली पर नए कपड़े और मिठाइयों की उम्मीद करने वाले बच्चों को जब समझौता करना पड़ता है, तो उनकी निराशा का हिसाब किसी आर्थिक आंकड़े में नहीं लगाया जा सकता। त्योहार कहीं अमीरी और गरीबी के अंतर को और गहरा न कर दें, यह चिंता भी स्वाभाविक है। कम फसल, आयात लागत और डॉलर की कीमत जैसे कारणों से खाद्य पदार्थ महंगे हो सकते हैं, लेकिन त्योहारों के समय जमाखोरी की आशंका की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। सरकार को बाजार पर निगरानी बढ़ाकर जमाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जरूरतमंद परिवारों को सस्ती खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उपाय भी किए जाने चाहिए। साथ ही, तिल, मूंगफली और गुड़ से बनी पारंपरिक मिठाइयों को अपनाकर खर्च कम किया जा सकता है।

दीवाली का असली अर्थ महंगे उपहार और मिठाइयां नहीं, बल्कि प्रेम, अपनापन और खुशियां बांटना है। सरकार, व्यापारियों और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि महंगाई किसी परिवार की खुशियां न छीन ले। हर घर में दीया जले और हर चेहरे पर मुस्कान हो, तभी दीवाली सचमुच रोशन होगी।

कनाडा से अलग होने की राह पर तेल से समृद्ध अल्बर्टा

कनाडा के तेल से समृद्ध प्रांत अल्बर्टा में इन दिनों अलगाव की हवा तेज है, लेकिन यह हवा सीधे आजादी की ओर नहीं है। प्रस्तावित मतदान तत्काल स्वतंत्रता पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि क्या प्रांतीय सरकार को भविष्य में स्वतंत्रता पर बाध्यकारी जनमत संग्रह कराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। अलगाव के पक्ष में फैसला आने पर भी संवैधानिक प्रक्रिया, बातचीत और अन्य कानूनी शर्तें पूरी करनी होंगी। अल्बर्टा में करीब 30 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। जनमत संग्रह में कनाडा से अलगाव के मुद्दे के साथ संवैधानिक सुधार और आव्रजन नीति से जुड़े दस अलग-अलग सवाल शामिल हैं। यानी यह कई असंतोषों को सामने लाने वाला मतदान है।



अलगाव के समर्थकों का मानना है कि प्रांत को अपने प्राकृतिक संसाधनों, राजस्व और नीतियों पर अधिक नियंत्रण मिलना चाहिए। कनाडा में तेल और गैस के बड़े भंडार अल्बर्टा में हैं, लेकिन वहां के लोगों को लगता है कि ओटावा स्थित संघीय सरकार उनके राजस्व का बड़ा हिस्सा ले जाती है और पर्यावरण के नाम पर तेल उद्योग पर रोक लगाती है। क्यूबेक के बाद अल्बर्टा भी उन प्रांतों में शामिल है, जहां अलगाववादी भावनाएं समय-समय पर उभरती रही हैं। लोगों को लगता है कि पूर्वी कनाडा में लिए जाने वाले फैसले उनके हितों के खिलाफ हैं। यही आर्थिक असंतोष अब राजनीतिक मांग का रूप ले रहा है।

कनाडा के कुछ प्रांतों में नागरिकों को जनहित के मुद्दों पर सीधे सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का अवसर देने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में नागरिक पहल से संबंधित कानूनी व्यवस्थाएं हैं। इनके तहत आम नागरिक नीतिगत बदलाव या प्रांतीय मुद्दों पर मतदान की मांग कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित समयसीमा में आवश्यक संख्या में योग्य मतदाताओं के हस्ताक्षर जुटाने होते हैं। हालांकि, याचिका के बाद जनमत संग्रह कराना संबंधित कानूनों और निर्धारित प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। भारत के संविधान में इस तरह की प्रत्यक्ष जनमत संग्रह व्यवस्था नहीं है।

इस घटनाक्रम पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दुनिया पहले से अधिक अस्थिर और विभाजित हो चुकी है। ऐसे समय में देश के भीतर विभाजन की प्रक्रिया शुरू करने से राजनीतिक मतभेद और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है। कार्नी ने लोगों से अलगाव की प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ मतदान करने की अपील की है। उनका तर्क है कि कनाडा को विभाजित करने से किसी का भला नहीं होगा, बल्कि पूरा देश कमजोर हो सकता है।

अमेरिका की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। कार्नी ने कनाडा की एकता और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। उनका मानना है कि कनाडा को किसी एक देश पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करनी चाहिए। अल्बर्टा का तेल उद्योग अमेरिकी बाजार पर काफी निर्भर है और कई अलगाववादी नेता अमेरिका के साथ नजदीकी बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अल्बर्टा के अलगाव से अमेरिका को रणनीतिक और आर्थिक लाभ मिल सकता है।

अल्बर्टा कनाडा की ऊर्जा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां से होने वाला तेल उत्पादन कनाडा की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता है। यदि अल्बर्टा अलग होने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो कनाडा की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा नीति पर गंभीर असर पड़ सकता है। अमेरिका को भी इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि अल्बर्टा का तेल पहले से ही अमेरिकी रिफाइनरियों तक पहुंचता है। हालांकि, अमेरिकी समर्थन या पर्दे के पीछे किसी भूमिका के दावों को प्रमाण के बिना तथ्य नहीं माना जा सकता।

यह समझना जरूरी है कि 19 अक्टूबर का मतदान आजादी पर अंतिम मुहर नहीं है। यह केवल भविष्य में जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू करने से जुड़ा कदम है। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, किसी प्रांत के अलग होने के लिए स्पष्ट जनादेश, संवैधानिक प्रक्रिया और बातचीत आवश्यक हैं। क्यूबेक में पहले भी दो बार जनमत संग्रह हो चुका है, लेकिन दोनों बार अलगाव का प्रस्ताव सफल नहीं हुआ।

अल्बर्टा का आंदोलन कनाडा के संघीय ढांचे के लिए बड़ी परीक्षा है। यदि सरकार प्रांत की आर्थिक शिकायतों को दूर नहीं करती, तो असंतोष और बढ़ सकता है। दूसरी ओर, अधिक स्वायत्तता की मांग दूसरे प्रांतों को भी प्रेरित कर सकती है। अंततः कनाडा की एकता का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह आर्थिक हितों, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

हिमालय में तकनीक की पहरेदारी

बर्फ की छत पर खतरे की आहट

हिमालय केवल पहाड़ नहीं है, यह भारत की जलवायु का नियंता और करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है। पर यही हिमालय अब बड़े खतरे का सामना कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और उनके पिघलने से हिमनद झीलें बन रही हैं। ये झीलें दिखने में खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इनके भीतर प्रलय छिपी है। जब ये झीलें टूटती हैं, तो नीचे बसे गांव, शहर और सड़कें पल भर में बह जाते हैं। इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी जीएलओएफ कहा जाता है। हाल के वर्षों में उत्तराखंड और सिक्किम में इसका भयावह रूप देखने को मिला है। इसी खतरे से निपटने के लिए पहली बार हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में देश की पहली प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है।



समुद्र तल से लगभग 4,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घेपन घाट हिमनद झील को इस ऐतिहासिक प्रयोग के लिए चुना गया है। इस झील का आकार लगातार बढ़ रहा है और इसरो ने नवंबर 2023 में ही इसके बढ़ते खतरे को लेकर आगाह किया था। खतरे का आकलन, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर काम शुरू हुआ था। उसी का परिणाम यह नई प्रणाली है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सी-डैक ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की पायलट परियोजना के तहत विकसित किया है। यह केवल एक मशीन नहीं, बल्कि बर्फ के बीच मानव की आंख और कान है।

इस प्रणाली में तीन मुख्य हिस्से हैं। पहला, बुआय आधारित झील निगरानी स्टेशन, जो झील के बीच तैरता रहेगा और लगातार जलस्तर मापेगा। दूसरा, स्वचालित मौसम केंद्र, जो आसपास के तापमान, हवा की गति, बर्फबारी और धूप का हिसाब रखेगा। तीसरा, ग्लेशियर विजन यूनिट, जो कैमरों और सेंसरों के माध्यम से ग्लेशियर की हलचल और दरारों पर नजर रखेगा। इनसे मिलने वाले आंकड़ों और दृश्य सूचनाओं का विश्लेषण सी-डैक के सुपरकंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। निर्धारित मानकों के आधार पर अलर्ट जारी होगा, जिससे प्रशासन को संभावित आपदा से पहले तैयारी करने का समय मिल सकेगा।

संभावित बाढ़ से निपटने के लिए चंद्रा-चिनाब क्षेत्र में भी उच्चतम बाढ़ स्तर के चिह्नांकन का काम पूरा कर लिया गया है। इससे बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करने और राहत एवं बचाव की योजना बनाने में मदद मिलेगी। भविष्य में इस चेतावनी प्रणाली को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि वहां भी हिमनद झीलों के फटने का गंभीर खतरा है।

इस खतरे की गंभीरता समझने के लिए आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2,485 से अधिक हिमनद झीलों की पहचान की गई है। इनमें से 221 झीलों को बेहद संवेदनशील और उच्च खतरे की श्रेणी में रखा गया है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के अध्ययन भी हिमनद झीलों में हो रहे बदलावों की गंभीरता की ओर ध्यान दिलाते हैं। पहले जिन प्रक्रियाओं में सदियां लगती थीं, वे अब कुछ ही वर्षों में तेजी से सामने आ रही हैं। ऐसे में चेतावनी प्रणाली समय की बड़ी मांग है।

यह प्रणाली केवल तकनीक की जीत नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन की सोच में बदलाव का भी प्रतीक है। पहले आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने पर जोर रहता था, अब उसके प्रभाव को पहले से कम करने की कोशिश हो रही है। हिमालय में, जहां ऑक्सीजन कम है, तापमान शून्य से नीचे रहता है और पहुंचना बेहद कठिन है, वहां स्वचालित प्रणाली स्थापित करना इंजीनियरिंग की बड़ी उपलब्धि है। सौर ऊर्जा से चलने वाली यह प्रणाली उपग्रह के माध्यम से आंकड़े भेजेगी। इसके संचालन के लिए हर समय किसी व्यक्ति की वहां मौजूदगी जरूरी नहीं होगी।

लाहौल-स्पीति के लोगों के लिए यह प्रणाली जीवनरक्षक साबित हो सकती है। यहां के किसान, चरवाहे और पर्यटन से जुड़े लोग बाढ़ के खतरे का सामना करते हैं। झील टूटने से उनकी फसलें, घर और सड़कें बह सकती हैं। समय पर सूचना मिलने से वे सुरक्षित स्थानों पर जा सकेंगे और अपने पशुओं को भी बचा सकेंगे। इस तरह तकनीक जीवन के साथ आजीविका की रक्षा में भी सहायक होगी। घेपन घाट पर स्थापित यह प्रणाली केवल शुरुआत है। इसे पूरे हिमालय में लागू करने के लिए पर्याप्त निवेश और राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकारों को संवेदनशील झीलों की निगरानी के लिए स्थायी बजट बनाना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को जीएलओएफ के बारे में पढ़ाया जाए और पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाए। विज्ञान अकेले पहाड़ नहीं बचा सकता, जब तक स्थानीय लोग जागरूक नहीं होंगे, तकनीक का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हिमालय की बर्फीली चादर के नीचे छिपे खतरे को पहचानने और समय रहते कार्रवाई करने में यह चेतावनी प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

नशे पर वार, पंजाब बचाओ, देश बचाओ

एक पुड़िया से खालिस्तान तक

गुरदासपुर के पत्त्रवां गांव में बिक्रमजीत सिंह की हत्या केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि यह चेतावनी है कि नशे का कारोबार अब विरोध करने वालों की जान लेने लगा है। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक यही सवाल है कि पंजाब में नशा क्यों नहीं रुक रहा है। पंजाब में बढ़ती हिंसा, देशविरोधी गतिविधियों, अलग खालिस्तान की मांग और गैंगवार के लिए बढ़ता नशे का कारोबार जिम्मेदार माना जा रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार ने पंजाब सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरता से आगे बढ़ने और कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता जताई है। यह लड़ाई केवल पंजाब पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे भारत की है। इसलिए राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से नशे के कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाने का समय आ गया है।



पहले दुश्मन बंदूक भेजता था, अब वह ड्रोन से हेरोइन भेजता है। पाकिस्तान की तरफ से पंजाब सीमा पर ड्रोन के जरिए नशे की खेप गिराई जा रही है। सीमा सुरक्षा बल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक साल में सैकड़ों ड्रोन देखे गए और दर्जनों मार गिराए गए। लेकिन जितना पकड़ा जाता है, उससे अधिक गांवों तक पहुंच जाता है। इस नशे की बिक्री से मिलने वाला पैसा कनाडा और अमेरिका में बैठे गैंगस्टरों तथा खालिस्तान समर्थकों तक पहुंचता है। यही पैसा फिर हथियारों के रूप में पंजाब लौटता है। यह एक ऐसा जहरीला चक्र है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ही तोड़ सकती हैं।

इस मुद्दे पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर आरोप लगाया कि जब सीमा केंद्र के पास है, तो तस्करी कैसे हो रही है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि नशे की खुदरा बिक्री रोकना राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है। कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा और संगरूर के गुलजार सिंह जैसे मामलों में भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस आरोप-प्रत्यारोप से कुछ हासिल नहीं होगा। पंजाब के लोग नारे नहीं, समाधान चाहते हैं। इसलिए अब एक संयुक्त कार्ययोजना की जरूरत है, जिसमें श्रेय लेने की होड़ के बजाय जिम्मेदारी बांटने पर जोर हो।

पहला कदम सीमा को सुरक्षित बनाना है। केंद्र को पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एंटी-ड्रोन प्रणाली मजबूत करनी चाहिए। थर्मल कैमरों और रडार से लैस निगरानी चौकियां बनाई जाएं। बीएसएफ और पंजाब पुलिस का संयुक्त ड्रोन प्रतिक्रिया दल गठित हो, जो ड्रोन दिखते ही तत्काल कार्रवाई करे। सीमा पर तैनात चौकियों को आधुनिक एंटी-ड्रोन उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही, सीमावर्ती गांवों के युवाओं को निगरानी व्यवस्था से जोड़कर उन्हें संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

दूसरा कदम खुफिया जानकारी साझा करना है। एनआईए, आईबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पंजाब पुलिस की विशेष कार्यबल का संयुक्त खुफिया केंद्र चंडीगढ़ में बनाया जाए। नियमित बैठकें हों और बड़े नशा तस्करों की जानकारी साझा की जाए। केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच सूचनाओं का बेहतर तालमेल पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में मदद करेगा। गैंगस्टरों के सोशल मीडिया खातों, विदेशी कॉल और हवाला लेनदेन पर भी कानून के दायरे में संयुक्त निगरानी जरूरी है।

तीसरा और सबसे अहम कदम नशे से अर्जित धन पर प्रहार करना है। नशे से कमाया पैसा ही गैंगवार और देशविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। प्रवर्तन निदेशालय और राज्य पुलिस को मिलकर तस्करों की अवैध संपत्ति की जांच करनी चाहिए और कानून के अनुसार उसे जब्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए। इससे यह संदेश जाएगा कि नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति सुरक्षित नहीं रह सकती।

केवल पुलिस की सख्ती से नशा नहीं रुकेगा। पंजाब के हर जिले में प्रभावी नशामुक्ति और कौशल विकास केंद्र होने चाहिए, जहां युवाओं को इलाज के साथ रोजगार का प्रशिक्षण भी मिले। खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से हर ब्लॉक में खेल मैदान और व्यायाम सुविधाएं विकसित की जाएं। स्कूलों में जागरूकता अभियान चलें, ताकि बच्चे नशे के दुष्परिणाम समझ सकें। जब युवाओं के हाथ में नशे के बजाय खेल और रोजगार के अवसर होंगे, तो वे इस बुराई से दूर रहने के लिए प्रेरित होंगे।

राजनीतिक स्तर पर भी जवाबदेही जरूरी है। किसी भी दल के नेता का नशा तस्करों से संबंध सामने आए, तो निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर श्वेतपत्र जारी करें, जिसमें पिछले दस वर्षों में पकड़े गए तस्करों, सजा पाए आरोपियों और जब्त संपत्ति का विवरण हो। इससे जनता का भरोसा बढ़ेगा और पुलिस का मनोबल मजबूत होगा।

पंजाब वह धरती है, जिसने देश को अनाज दिया और सीमा की रक्षा की। आज वही पंजाब नशे के कारण बदनाम हो रहा है। यह चुनौती केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। नशे का बढ़ता कारोबार आम लोगों की सुरक्षा और देश की अखंडता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक मंच पर आना होगा। एक-दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय मिलकर काम करना होगा। तभी पंजाब की गलियों में फिर भांगड़े की थाप सुनाई देगी, गैंगवार की गोलियां नहीं, और नशे पर प्रभावी वार करके पंजाब तथा देश, दोनों को सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

समुद्र के गर्भ में सोया इतिहास, चार हजार सात सौ साल पुरानी नींद

तुर्किये के दक्षिणी तट पर केकोवा द्वीप के पास समुद्र में करीब सौ फीट यानी 30 मीटर की गहराई पर मिली खोज ने समुद्री इतिहास के कई पुराने अध्यायों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अंकारा से आई खबर के अनुसार, यहां दुनिया के सबसे पुराने जहाजों में से एक का मलबा मिला है। यह मलबा लगभग 4,400 से 4,700 साल पुराना बताया जा रहा है और शुरुआती कांस्य युग का है। जिस समय मिस्र में पिरामिडों का निर्माण हो रहा था, उसी समय यह छोटा व्यापारिक जहाज पूर्वी भूमध्य सागर में सामान लेकर जा रहा था और फिर हजारों साल तक समुद्र में सोया रहा। तुर्किये सरकार ने भी इस खोज की पुष्टि की है। इसे मानव सभ्यता के व्यापारिक इतिहास का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जा रहा है।

यह जहाज लगभग दस मीटर लंबा था और पूर्वी भूमध्य सागर में पूर्व से पश्चिम की ओर सामान ले जा रहा था। समुद्र की तलहटी से 30 से अधिक बड़े मिट्टी के भंडारण पात्र और पत्थर के तीन बड़े लंगर बरामद हुए हैं। इन पात्रों में प्राचीन जीवन और व्यापार के रहस्य छिपे हैं। एक विशेष पात्र पर मिले निशानों को लेकर शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका उपयोग समुद्री यात्रा के दौरान मक्खन या पनीर बनाने के लिए बिलौनी के रूप में किया जाता होगा। ताजा दूध के भंडारण के लिए भी ऐसे पात्रों का इस्तेमाल होने की संभावना है। यह खोज बताती है कि उस दौर में लोग व्यापार के साथ खाद्य पदार्थों के संरक्षण की कला भी जानते थे।

पुरातत्वविदों के अनुसार, यह जहाज उस समय का है, जब दुनिया में शहर बस रहे थे और विभिन्न सभ्यताएं एक-दूसरे से जुड़ रही थीं। उस युग में समुद्र ही राजमार्ग था और जहाज परिवहन का प्रमुख साधन थे। यह छोटा जहाज प्रमाण है कि कांस्य युग के लोग अपने गांवों और शहरों तक सीमित नहीं थे, बल्कि लंबी दूरी की समुद्री यात्राएं करते और व्यापार करते थे। यह खोज इस धारणा को भी चुनौती



देती है कि प्राचीन काल में व्यापार मुख्यतः जमीन के रास्ते होता था। भूमध्य सागर हजारों साल पहले भी सामान, विचार और तकनीक के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण केंद्र था।

जमीन पर लकड़ी सड़ जाती है और धातुओं में जंग लग जाती है, लेकिन समुद्र की गहराई में कम ऑक्सीजन जैसी परिस्थितियों के कारण कुछ पुरातात्विक अवशेष लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। यही कारण है कि यह जहाज हजारों साल बाद भी अपने समय की कहानी सुना रहा है। मिट्टी के बर्तन उस दौर की निर्माण कला और खान-पान की जानकारी देते हैं, जबकि पत्थर के लंगर जहाजों को रोकने की तकनीक पर प्रकाश डालते हैं। जहाज की बनावट से उस समय के कारीगरों के कौशल का भी पता चल सकता है।

तुर्किये के लिए यह खोज पुरातात्विक महत्व के साथ राष्ट्रीय गौरव का विषय भी है। केकोवा द्वीप के आसपास का क्षेत्र पहले से ही प्राचीन लिसियन सभ्यता के जलमग्न अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। इस जहाज की खोज से क्षेत्र के समुद्री इतिहास पर नए शोध की संभावनाएं बढ़ी हैं। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। यह खोज याद दिलाती है कि व्यापार और तकनीक आधुनिक युग की देन नहीं हैं। समुद्र इतिहास का विशाल संग्रहालय है, जिसकी गहराइयों में अब भी अनगिनत जहाज, नगर और कहानियां दफन हैं। जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्रदूषण से ऐसे स्थलों को खतरा है। इसलिए उनका संरक्षण जरूरी है। रोबोटिक पनडुब्बियों, त्रिआयामी स्कैनिंग और डीएनए जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से वैज्ञानिक इन अवशेषों का अध्ययन कर सकते हैं। यह 4,700 साल पुराना जहाज बताता है कि हमारा अतीत केवल जमीन के नीचे नहीं, समुद्र की गहराइयों में भी छिपा है। उसे समझने के लिए इतिहास की इन अनमोल धरोहरों को खोजने और बचाने के प्रयास लगातार जारी रखने होंगे।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)